न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अनंत भण्डारी

दांडिक विविध प्रार्थना-पत्र संख्या 282/2026

गुलफान खां पुत्र अब्दुल मजीद, उम्र करीब 80 साल,निवासी 60 फीट रोड, ठाकर वाला कुंआ, रामनगर कॉलोनी अलवर, हाल निवासी 60 फीट रोड, शिव कॉलोनी, वार्ड नम्बर 55, अलवर (राज.)

---प्रार्थी/अभियुक्त

विरूद्ध

राजस्थान राज्य, जरिये लोक अभियोजक, अलवर (राज.)

---विपक्षी/अभियोगी

अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 95/2025, पुलिस थाना अरावली विहार, अलवर, अपराध अन्तर्गत धारा 318(4),338,336(3),340(2),61(2)(b)भारतीय न्याय संहिता

उपस्थितः-
1- श्री गौरव शर्मा, विद्वान अधिवक्ता - प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2- श्री महेश चन्द शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक - राज्य की ओर से।

आ दे श

दिनांकः 16.03.2026

1- प्रार्थी/अभियुक्त गुलफान खां की ओर से अग्रिम जमानत का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 95/2025, पुलिस थाना अरावली विहार, जिला अलवर में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

2- संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि फरियादी चन्द्र देव मिश्र ने एक रिपोर्ट पुलिस थाना अरावली विहार, अलवर पर इस आशय की दर्ज करवाई कि वे चारों भाईयों चन्द्र देव, नरेन्द्र, विक्रमादित्य, अनुराग ने सन 1983 में मुल्तान नगर, गृह निर्माण सहमारी समिति, दिवाकरी अलवर से ग्राम भूगोर में खसरा नंबर 460 व 461 ब्लॉक 9 में चार प्लॉट 11 ए, 11 बी, 12 ए, 12 बी क्रय कर, निर्माण कार्य किया और पानी का कनैक्शन लिया। पडौसी शकुन्तला मीणा की लाईट ली हुई है। उक्त प्लॉटों की देखरेख कुछ समय पश्चात परम सुख शर्मा को सुपुर्द की थी, जिससे प्लॉट खाली करने के लिए कहा, तो उसने 06 माह का समय मांगा और किरायानामा लिख दिया। करीब 04 माह पहले जब वह अपने प्लॉट पर गया, तो वहां बिजली का कनैक्शन लगा हुआ था, जिसके बारे में पूछताछ करने पर पता चला कि परम सुख शर्मा ने पुष्कर दत्त, सुशीला देवी व मानसिंह नरूका के साथ मिलकर उनके असली पट्टों को निरस्त करवाकर सुशीला देवी व पुष्कर

दत्त के नाम से पिछली तारीखों में फर्जी व कूटरचित नकली पट्टे प्राप्त कर लिये हैं और प्लॉटों पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं.....इत्यादि।

3- उक्त आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 95/2025, पुलिस थाना अरावली विहार, जिला अलवर पर दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उसकी गिरफतारी का भय होने से हस्तगत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

4- प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। वास्तव में सम्पत्ति पूर्व में परिवादी चंद्र देव के नाम से आवंटित हुई थी और मुल्तान गृह निर्माण सहकारी समिति, अलवर द्वारा परिवादी चन्द्र देव को बकाया राशि जमा करने के लिए नोटिस दिए थे, जो बकाया राशि जमा नहीं कराने पर, गृह निर्माण सहकारी समिति ने सन् 1999 में आवंटन निरस्त कर दिया। परिवादी की ओर इतने वर्षों तक कोई शिकायत नहीं की गई। उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रकरण के अन्य सह-अभियुक्तगण कमला देवी, परमसुख व पुष्कर दत्त को न्यायालय द्वारा पूर्व में अग्रिम जमानत का लाभ दिया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त का मामला उक्त सह-अभियुक्तगण से भिन्न नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफतारी से उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होगी। अतः अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

5- इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का कथन रहा है कि इस प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त मुल्तान गृह निर्माण सहकारी समिति, अलवर मे पदाधिकारी था। मुल्तान गृह निर्माण सहकारी समिति, अलवर के पदाधिकारियों ने आवंटन पत्र फर्जी रूप से निरस्त कर प्लॉट को खुर्दबुर्द किया है। इसके संबंध में अनुसंधान चल रहा है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6- उभय पक्षों को सुना गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी पर आवंटन निरस्त किये जाने के संबंध में दस्तावेज मौजूद हैं, जो वर्ष 1999 के है। आवंटन को निरस्त किये हुए 26 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। परिवादी द्वारा पृथक से एक सिविल वाद भी स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें मुल्तान गृह निर्माण सहकारी समिति, अलवर ने परिवादी चंद्रदेव को आवंटन निरस्त किये जाने का वादोत्तर प्रस्तुत किया है।

7- हम पाते हैं कि संपत्ति के संबंध में दोनों पक्षों में विवाद है, जो वाद सिविल न्यायालय में आज भी लंबित है। प्रथमदृष्टया यह भी प्रकट हुआ है कि मुल्तान गृह निर्माण सहकारी समिति, अलवर ने सिविल वाद में परिवादी का आवंटन निरस्त किये जाने का जबाव दावा पेश किया है। प्रकरण के अन्य सह-अभियुक्तगण पुष्कर दत्त , परमसुख व कमला देवी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पूर्व में क्रमशः दिनांक 17.12.2025, 24.12.2025 व

28.01.2026 को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किये गये हैं। प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किया जाना हितकर नहीं है। अतः मामले के उक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-आदेश-

8- लिहाजा, प्रार्थी/अभियुक्त गुलफान खां पुत्र अब्दुल मजीद की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर, भारसाधक अधिकारी/अन्वेषण अधिकारी, पुलिस थाना अरावली विहार, अलवर को यह आदेश दिया जाता है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन संख्या 95/2025, पुलिस थाना अरावली विहार, अलवर, में प्रार्थी/अभियुक्त गुलफान खां को गिरफ्तार किये जाने की दशा में, यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से एक लाख रूपये का स्वयं का मुचलका और पचास-पचास हजार रूपये की दो मौतबिर जमानतें निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रस्तुत कर दे, तो प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड दिया जावे:-

(1) कि प्रार्थी/अभियुक्त पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगी,

(2) कि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगी,

(3) कि प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोडेगी।

(अनंत भण्डारी)
सेशन न्यायाधीश, अलवर

9- आदेश आज दिनांक 16.03.2026 को लिपिबद्ध करवाया जाकर, बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकन विवृत्त न्यायालय में उदघोषित किया गया।

(अनंत भण्डारी)
सेशन न्यायाधीश, अलवर